सहायक कलक्टर करेरा

10/6/24	पत्रावली वकील प्रार्थी वादी एवं वकील वादी के प्रा०पत्र पर शिगह से तलब की गई वकीलवादी व स्वयंवादी ने एक प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य

आपसी राजीनामा हो जाने से वादी इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र व वाद पत्र का अवलोकन किया बदस पर मनन किया, वादी व वकील वादी द्वारा वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से वादी के वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। वादी के सत्य शुमार होकर [illegible] से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी बड़ौदा
सहायक कलक्टर करेरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.06.11 12:20:41 IST
Reason: SelfAttested